

23/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उप०।
पत्रावली पूर्वानुसार वकील प्राची उप०।
दिनांक 24/05/2018 को पेश हो।

24/5/18 पत्रावली काफ दिनांक को
न्याय काफके द्वारे कंप इरगत
में प्रकृत हुई। पत्रावली का
कैवलोकन किया। प्राची ने कई
कादेशों को फालना में नोटेस
अच्छा पेश नहीं किये। इसलिए
प्राची को CAC की धारा
OGRS के तहत खारिज किया
जाता है। पत्रावली फॉराल शुका
होकार नम्वर रंग काफ हो। काड
प्रति कारिल रखर हो।

पुण्याच्य अधिकारी
जिल्हादफ्तर